


रिपोर्ट तहसीलदार/पैरोकार सरकार

LR

क्रमांक सजसब/2025/ 470

दिनांक : 21.04.2025

महोदय जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम रामपुर के वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।


तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसीलदार (भू अभिलेख)
रामपुर

आदेश


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक राजस्व न्यायालय/2025/212

दिनांक : 23/07/25

वादी/प्राथी के ग्राम रामपुर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार रामपुर की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित चुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामपुर को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।




उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड

